Annex - A

**Government of India**
**Ministry of Finance**
**Department of Revenue**
**Central Board of Direct Taxes**

New Delhi, 26th November, 2024

**Press Release**

# PAN 2.0 Project of the CBDT receives CCEA Approval

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved the Income Tax Department's PAN 2.0 Project. This project aims to streamline and modernize the process of issuing and managing PAN and TAN, making it more user-friendly and efficient. With existing PAN database of 78 crore PANs and 73.28 lakh TANs, the project addresses the requirements of taxpayers, focusing on consolidation of multiple platforms/portals and efficient services to PAN/ TAN holders.

Currently, PAN-related services are spread across three different platforms: the e-Filing Portal, UTIITSL Portal, and Protean e-Gov Portal. With the implementation of PAN 2.0, all these services will be integrated into a single, unified portal. This one-stop platform will handle comprehensively issues/matters related to PAN and TAN, including application, updates, corrections, Aadhaar-PAN linking, re-issuance requests, and even online PAN validation. By doing so, the Income Tax Department endeavours to simplify processes, eliminate delays, and improve grievance redressal mechanisms.

The PAN 2.0 Project is also a significant step toward aligning with the Digital India initiative. It focuses on eco-friendly, paperless processes while establishing PAN as a common identifier for all digital systems of specified Government agencies.

Key features of PAN 2.0:

- A single portal for all PAN/TAN-related services to simplify access for users.
- Eco-friendly paperless less processes to reduce paperwork.
- PAN will be issued free of cost, with quicker processing times.
- Personal and demographic data will be protected through enhanced security measures, including a PAN Data Vault.
- A dedicated call center and helpdesk to address user queries and issues.

This upgrade is designed to enhance the overall experience for taxpayers by ensuring faster service delivery, effective grievance redressal, and better protection of sensitive data. The project will also make it easier for users to apply for PAN/TAN online, update their details, and validate PAN information digitally. By consolidating and re-engineering these processes, the Income Tax Department has taken a significant move towards creating a seamless, transparent, and inclusive system for taxpayers.

For providing further clarity, a FAQ document has been prepared which is attached herewith.

**(V. Rajitha)**
Commissioner of Income Tax
(Media & Technical Policy) &
Official Spokesperson, CBDT

## Frequently Asked Questions (FAQs) on PAN 2.0 Project

**Question 1**

**What is PAN 2.0?**

PAN 2.0 Project is an e-Governance project of ITD for re-engineering the business processes of taxpayer registration services. The objective of the project is to enhance the quality of PAN services through adoption of latest technology. Under this project ITD is consolidating all processes related to PAN allotment/updation and corrections. The TAN related services are also merged with this project. Besides, PAN authentication/validation through online PAN validation service will be provided to user agencies such as financial institutions, banks, government agencies, central and state government departments etc.

**Question 2**

**How PAN 2.0 will be different from existing setup?**

i. **Integration of Platforms:** Presently, the PAN related services are hosted on three different portals (e-Filing Portal, UTIITSL Portal and Protean e-Gov Portal). In the PAN 2.0 Project, all PAN/TAN related services will be hosted on a single unified portal of ITD. The said Portal would host all end-to-end services related to PAN and TAN like allotment, updation, correction, Online PAN Validation (OPV), Know your AO, AADHAAR-PAN linking, verify your PAN, request for e-PAN, request for re-print of PAN card etc.

ii. **Comprehensive use of technology for paperless processes**: Complete online paperless process as against prevailing mode

iii. **Taxpayer facilitation:** Allotment/updation/correction of PAN will be done free of cost and e-PAN will be sent to the registered mail id. For physical PAN card, the applicant has to make a request along with the prescribed fee of Rs 50 (domestic). For delivery of card outside India, Rs. 15 + India post charges at actuals will be charged to the applicant.

**Question 3**

**(i) Whether existing PAN CARD Holders will be required to apply for new PAN under the upgraded system?**

**(ii) Do you need to change your PAN number?**

No. The existing PAN card holders are not required to apply for new PAN under the upgraded system (PAN 2.0).

**Question 4**

**Do people have an option to get corrections done on PAN, like name, spellings, address change etc?**

Yes. If existing PAN holders want to make any correction/updation of their existing PAN details such as email, mobile or address or demographic details such as name, date of birth etc., they can do so at free of cost after the PAN 2.0 Project commences. Till the time the PAN 2.0 project is rolled-out, the PAN holders can avail the Aadhaar based online facility for updation/correction of email, mobile and address free of cost by visiting the below URLs:

i. https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserAddressUpdate.html
ii. https://www.pan.utiitsl.com/PAN_ONLINE/homeaddresschange

In any other cases of updation/correction of PAN details, the holders can do so using the existing process either by visiting physical centres or applying online on payment basis.

**Question 5**

**Do I need to change my PAN card under the PAN 2.0?**

No. The PAN card will not be changed unless the PAN holders want any updation/correction. The existing valid PAN cards will continue to be valid under PAN 2.0.

**Question 6**

**(i) A lot of people have not changed their addresses and are continuing with old address. How will the new PAN be delivered?**
**(ii) By when will the new PAN Card get delivered?**

No new PAN card will be delivered unless the PAN holder requests for it owing to any updation/correction in their existing PAN. The PAN holders who want to update old address, they can do so free of cost using Aadhaar based online facility by visiting the below URLs:

i. https://www.pan.utiitsl.com/PAN_ONLINE/homeaddresschange
ii. https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserAddressUpdate.html

Accordingly, the address will be updated in the PAN database.

**Question 7**

**(i) If new PAN cards are QR code enabled, will older ones continue to function as it is?**
**(ii) What will QR code help us with?**

(i) The QR code is not a new feature, and it has been incorporated in the PAN cards since 2017-18. The same will be continued under PAN 2.0 project with enhancements (dynamic QR code which will display latest data present in PAN database). PAN holders having an old PAN Card without QR code have an option to apply for a new card with QR code in existing PAN 1.0 eco-system as well as in the PAN 2.0.

(ii) The QR code helps in validating the PAN and PAN details.

(iii) Presently, a specific QR reader application is available for verification of QR code details. On reading through the reader application, complete details, i.e., photo, signature, Name, Father's Name / Mother's Name and Date of Birth is displayed.

**Question 8**

**What is - the "Common Business identifier for all business-related activities in specified sectors"?**

In the Union Budget 2023, it was announced that for the business establishments required to have a PAN, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies.

**Question 9**

**Whether Common Business identifier will replace the existing unique taxpayer identification number i.e. PAN?**

No. PAN itself will be used as a Common Business identifier.

**Question 10**

**What does the "Unified Portal" mean?**

Presently, the PAN related services are hosted on three different portals. In the PAN 2.0 Project, all PAN/TAN related services will be hosted on a single unified portal of ITD. The said Portal would host all end-to-end services related to PAN and TAN like allotment, updation, correction, Online PAN Validation (OPV), Know your AO, AADHAAR-PAN linking, verify your PAN, request for e-PAN, request for re-print of PAN card etc., thereby further simplifying the processes, and avoiding delay in PAN services delivery, delay in redressal of grievances etc. caused by the presence of various modes of receipt of applications (online eKYC/online paper mode/offline).

**Question 11**

**For people holding more than one pan, how will you identify and weed out the extra PAN ?**

As per the provisions of Income-tax Act, 1961, no person can hold more than one PAN. In case a person holds more than one PAN, he/she is obliged to bring it to notice of Jurisdictional Assessing officer and get the additional PAN deleted/de-activated.
In the PAN 2.0, with the improved systems logic for identification of potential duplicate requests for PAN and centralized and enhanced mechanism for resolving the duplicates would minimize the instances of one person holding more than one PAN.

Annex- B

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 26 नवंबर, 2024

**प्रेस विज्ञप्ति**

**केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की पैन 2.0 परियोजना को आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति की मंजूरी**

आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य पैन और टैन जारी करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है, जिससे इसे अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और कुशल बनाया जा सके। 78 करोड़ पैन और 73.28 लाख टैन के मौजूदा पैन डेटाबेस के साथ, यह परियोजना करदाताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिसमें कई प्लेटफ़ॉर्म/पोर्टल के एकीकरण और पैन/टैन धारकों को कुशल सेवाएँ देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वर्तमान में, पैन से संबंधित सेवाएँ तीन अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हैं: ई-फाइलिंग पोर्टल, यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल और प्रोटीन ई-गवर्नेंस पोर्टल। पैन 2.0 के कार्यान्वयन से, ये सभी सेवाएँ एक एकल, एकीकृत पोर्टल पर एकीकृत हो जाएँगी। वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म पैन और टैन से संबंधित मुद्दों/मामलों को व्यापक रूप से नियंत्रित करेगा, जिसमें आवेदन, अपडेट, सुधार, आधार-पैन लिंकिंग, पुनः जारी करने के अनुरोध और यहाँ तक कि ऑनलाइन पैन सत्यापन भी शामिल है। इस प्रकार आयकर विभाग इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, देरी को समाप्त करने और शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने का प्रयास करता है।

पैन 2.0 परियोजना डिजिटल इंडिया पहल के साथ तालमेल बिठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पर्यावरण अनुकूल, कागज रहित प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में स्थापित करता है।

पैन 2.0 की मुख्य विशेषताएं:

- सभी पैन/टैन-संबंधित सेवाओं के लिए एक एकल पोर्टल, जिससे उपयोगकर्ताओं की पहुँच आसान होगी।
- कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल कागज रहित प्रक्रियाएँ।
- पैन निःशुल्क जारी किया जाएगा, जिसमें प्रसंस्करण समय भी कम होगा।
- व्यक्तिगत और जनसांख्यिकीय डेटा को पैन डेटा वॉल्ट सहित उन्नत सुरक्षा उपायों के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा।
- उपयोगकर्ता प्रश्नों और समस्याओं को संबोधित करने के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर और हेल्पडेस्क।

यह अपग्रेड करदाताओं के लिए समग्र अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि त्वरित सेवा वितरण, प्रभावी शिकायत निवारण और संवेदनशील डेटा की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह परियोजना उपयोगकर्ताओं के लिए पैन/टैन का ऑनलाइन आवेदन, अपने विवरण का अपडेट और पैन जानकारी को डिजिटल रूप से मान्य करना सरल बना देगी। इन प्रक्रियाओं को समेकित और पुनः-इंजीनियर करके, आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक सहज, पारदर्शी और समावेशी प्रणाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

For providing further clarity, a FAQ document has been prepared which is attached herewith.

अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए, एक 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' दस्तावेज़ तैयार कर संलग्न किया गया है ।

(वी. राजिथा)
आयकर आयुक्त
(मीडिया एवं तकनीकी नीति) एवं
सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता

## पैन 2.0 परियोजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

**प्रश्न 1**

**पैन 2.0 क्या है?**

पैन 2.0 परियोजना आयकर विभाग की एक ई-गवर्नेंस परियोजना है, जिसका उद्देश्य करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार कर नवीनतम तकनीक द्वारा पैन सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसके तहत आयकर विभाग पैन आवंटन/अद्यतन और सुधार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को समेकित कर रहा है। टैन से संबंधित सेवाओं को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा, ऑनलाइन पैन सत्यापन सेवा के माध्यम से पैन प्रमाणीकरण/सत्यापन उपयोगकर्ता एजेंसियों जैसे वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारी एजेंसियों, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों आदि को प्रदान किया जाएगा।

**प्रश्न 2**

**पठैन 2.0 मौजूदा व्यवस्था से किस तरह अलग होगा?**

i. **प्लेटफॉर्म का एकीकरण:** वर्तमान में, पैन से संबंधित सेवाएं तीन अलग-अलग पोर्टल (ई-फाइलिंग पोर्टल, यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल और प्रोटीन ई-गवर्नेंस पोर्टल) पर होस्ट की जाती हैं। पैन 2.0 परियोजना में, सभी पैन/टैन से संबंधित सेवाएं आईटीडी के एक एकीकृत पोर्टल पर होस्ट की जाएंगी। उक्त पोर्टल पैन और टैन से संबंधित सभी एंड-टू-एंड सेवाओं जैसे आवंटन, अपडेशन, सुधार, ऑनलाइन पैन सत्यापन (ओपीवी), अपने एओ को जानें, आधार-पैन लिंकिंग, अपने पैन को सत्यापित करें, ई-पैन के लिए अनुरोध, पैन कार्ड के पुनर्मुद्रण के लिए अनुरोध आदि को होस्ट करेगा।

ii. **कागज रहित प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग:** प्रचलित पद्धति के विपरीत पूर्णतः ऑनलाइन कागज रहित प्रक्रिया।

iii. **करदाता सुविधा:** पैन का आवंटन/अपडेशन/सुधार निःशुल्क किया जाएगा तथा ई-पैन पंजीकृत मेल आईडी पर भेजा जाएगा। भौतिक पैन कार्ड के लिए, आवेदक को 50 रुपये (घरेलू) के निर्धारित शुल्क के साथ अनुरोध करना होगा। भारत के बाहर कार्ड की डिलीवरी के लिए, आवेदक से 15 रुपये + वास्तविक भारतीय डाक शुल्क लिया जाएगा।

**प्रश्न 3**

**(i) मौजूदा पैन कार्ड धारकों को उन्नत प्रणाली के तहत नए पैन के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा?**

**(ii) क्या आपको अपना पैन नंबर बदलने की आवश्यकता है?**

नहीं। मौजूदा पैन कार्ड धारकों को उन्नत प्रणाली (पैन 2.0) के अंतर्गत नए पैन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 4

**क्या लोगों के पास पैन में नाम, स्पेलिंग, पता परिवर्तन आदि में सुधार करवाने का विकल्प है?**

हां। यदि मौजूदा पैन धारक अपने मौजूदा पैन विवरण जैसे ईमेल, मोबाइल या पता या जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि आदि में कोई सुधार/अपडेट करना चाहते हैं, तो वे पैन 2.0 परियोजना शुरू होने पर ऐसा निःशुल्क कर सकते हैं। जब तक पैन 2.0 परियोजना शुरू नहीं हो जाती, तब तक पैन धारक नीचे दिए गए URL पर जाकर ईमेल, मोबाइल और पते में अपडेशन/सुधार के लिए आधार आधारित ऑनलाइन सुविधा का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं:

i. https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserAddressUpdate.html
ii. https://www.pan.utiitsl.com/PAN_ONLINE/homeaddresschange

पैन विवरण के अद्यतन/सुधार के किसी भी अन्य मामले में, धारक मौजूदा प्रक्रिया का उपयोग करके या तो भौतिक केंद्रों पर जाकर या भुगतान के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करके ऐसा कर सकते हैं।

प्रश्न 5

**क्या मुझे पैन 2.0 के तहत अपना पैन कार्ड बदलने की आवश्यकता है?**

नहीं। पैन कार्ड तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक पैन धारक कोई अपडेट/सुधार नहीं चाहते। मौजूदा वैध पैन कार्ड पैन 2.0 के तहत वैध बने रहेंगे।

प्रश्न 6

**(i) बहुत से लोगों ने अपना पता नहीं बदला है और उनका पुराना पता ही जारी है। नया पैन कार्ड कैसे डिलीवर किया जाएगा?**

**(ii) नया पैन कार्ड कब तक डिलीवर किया जाएगा?**

जब तक पैन धारक अपने मौजूदा पैन में किसी भी अपडेट/सुधार के लिए अनुरोध नहीं करता, तब तक कोई नया पैन कार्ड वितरित नहीं किया जाएगा। जो पैन धारक पुराने पते को अपडेट करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए URL पर जाकर आधार आधारित ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करके निःशुल्क ऐसा कर सकते हैं:

i. https://www.pan.utiitsl.com/PAN_ONLINE/homeaddresschange
ii. https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserAddressUpdate.html

तदनुसार, पता पैन डेटाबेस में अपडेट किया जाएगा।

प्रश्न 7

**(i) यदि नए पैन कार्ड क्यूआर कोड सक्षम हैं, तो क्या पुराने कार्ड वैसे ही काम करते रहेंगे?**
**(ii) क्यूआर कोड हमारी क्या मदद करेगा?**

(i) क्यूआर कोड नई सुविधा नहीं है, इसे 2017-18 से पैन कार्ड में शामिल किया गया है। इसे पैन 2.0 परियोजना के तहत संवर्द्धन (डायनेमिक क्यूआर कोड जो पैन डेटाबेस में मौजूद नवीनतम डेटा प्रदर्शित करेगा) के साथ जारी रखा जाएगा। बिना क्यूआर कोड वाले पुराने पैन कार्ड वाले पैन धारकों के पास मौजूदा पैन 1.0 इको-सिस्टम के साथ-साथ पैन 2.0 में क्यूआर कोड वाले नए कार्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प है।

(ii) क्यूआर कोड पैन और पैन विवरण को मान्य करने में मदद करता है।

(iii) वर्तमान में, क्यूआर कोड विवरण के सत्यापन के लिए एक विशिष्ट क्यूआर रीडर एप्लिकेशन उपलब्ध है। रीडर एप्लिकेशन को पढ़ने पर, पूरा विवरण, यानी फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम / माता का नाम और जन्म तिथि प्रदर्शित होती है।

**प्रश्न 8**

**"निर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी व्यवसाय-संबंधित गतिविधियों के लिए सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता" क्या है?**

केंद्रीय बजट 2023 में यह घोषणा की गई थी कि जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पैन रखना आवश्यक है, पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।

**प्रश्न 9**

**क्या कॉमन बिजनेस पहचानकर्ता मौजूदा विशिष्ट करदाता पहचान संख्या यानी पैन की जगह लेगा?**

नहीं। पैन का ही कॉमन बिजनेस पहचानकर्ता के रूप में उपयोग किया जाएगा।

**प्रश्न 10**

**"एकीकृत पोर्टल" का क्या अर्थ है?**

वर्तमान में, पैन से संबंधित सेवाएँ तीन अलग-अलग पोर्टल पर होस्ट की जाती हैं। पैन 2.0 परियोजना में, सभी पैन/टैन से संबंधित सेवाएँ आईटीडी के एक एकीकृत पोर्टल पर होस्ट की जाएँगी। उक्त पोर्टल पैन और टैन से संबंधित सभी एंड-टू-एंड सेवाओं जैसे आवंटन, अद्यतनीकरण, सुधार, ऑनलाइन पैन सत्यापन (ओपीवी), अपने एओ को जानें, आधार-पैन लिंकिंग, अपने पैन को सत्यापित करें, ई-पैन के लिए अनुरोध, पैन कार्ड के पुनर्मुद्रण के लिए अनुरोध आदि को होस्ट करेगा, जिससे प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जा सकेगा और आवेदन प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों (ऑनलाइन ईकेवाईसी/ऑनलाइन पेपर मोड/ऑफलाइन) की उपस्थिति के कारण पैन सेवाओं की डिलीवरी में देरी, शिकायतों के निवारण में देरी आदि से बचा जा सकेगा।

**प्रश्न 11**

**एक से अधिक पैन रखने वाले लोगों के लिए, आप अतिरिक्त पैन की पहचान कैसे करेंगे और उसे कैसे हटाएँगे?**

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन रखता है, तो उसे क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के ध्यान में लाना होगा और अतिरिक्त पैन को हटाना/निष्क्रिय करवाना होगा।
पैन 2.0 में, पैन के लिए संभावित डुप्लिकेट अनुरोधों की पहचान के लिए बेहतर सिस्टम लॉजिक और डुप्लिकेट को हल करने के लिए केंद्रीकृत और उन्नत तंत्र के साथ एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन रखने की घटनाओं को कम किया जा सकेगा।